न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 40 / 2021
दायर दिनांक : 27 / 10 / 2021
निर्णय दिनांक : 06 / 06 / 2024

उनवान

1. रतनलाल पिता लालू जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
2. सुरेशचन्द्र पिता छगनलाल जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर **प्रार्थी**

बनाम

1. चांदमल पिता नारायण जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
2. मोहन पिता नारायण जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
3. अमरचंद पिता हरचन्द जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
4. रामलाल पिता माधु जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
5. भैरूलाल पिता माधु जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
6. बद्रीलाल पिता भगवान जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
7. बोतलाल पिता लालू जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
8. किशनलाल पिता मेघराज जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
9. माधु पिता रामलाल जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
10. भूरालाल पिता रामलाल जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री किशनलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीशंकर जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का मुरला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी की आ.सं. 142 रकबा 0.03 है. आ.चा. स्थित होकर हम वादीगण के कब्जे अधिकार स्वामित्व की है, मुझ वादी संख्या 1 रतनलाल के पिताजी लालूजी के खातेदारी एवं वादी सं. 2 के दादाजी मृतक किशोर पिता मंघा के खातेदारी से दर्ज है किशोर की मृत्यु हो चुकी है लेकिन ईन्तकाल वादी सं. 2 के नाम पर नहीं खुला है। इस प्रकार उक्त आराजियात हम वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की है तथा हम वादीगण अपने बाप दादाओं के समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात पर कुआं में पानी नहीं होने के कारण आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हम प्रार्थीगण ने लागत लगाकर एक ट्यूबवेल खुदवाई थी जिसका उपयोग उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे हैं उक्त ट्यूबवेल एवं आराजियात के संबंध में अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है फिर भी अप्रार्थीगण जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पर हमें नुकसान पहुंचाने की नियत से कानून हाथ में लेकर उक्त ट्यूबवेल से हमें सिंचाई करने में बाधा पैदा करते हैं तथा उक्त ट्यूबवेल के संबंध में लड़ाई झगडा करते हैं और आये दिन हमारे ट्यूबवेल एवं आराजियात में नुकसान पहुंचाते हैं। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

होने के कारण कानून हाथ में लेकर हम वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करते हैं तथा आराजियात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लड़ाई झगडा करते हैं तथा अप्रार्थीगण को कई बार मौखिक रूप से समझाया लेकिन नहीं समझते हैं तथा अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच वाले होने के कारण राजनेताओं से और अधिकारियों से दबाव बनाते हैं और हमें परेशान कर हमारी ट्यूबवेल छीनना चाहते हैं जबकि उन्हे ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.10.2021 को प्रार्थीगण के ट्यूबवेल के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा की तथा लडाई झगडा किया जिससे उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार से क्षति पहुंचे। यदि अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उनको कोई नुकसान नहीं है और यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो वादीगण को बेशुमार नुकसान होगा। पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस अमर की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के ट्यूबवेल में तथा उसके सामान में कोई तोड फोड नहीं करें प्रार्थीगण की पाईपलाईन में कोई नुकसान नहीं पहुंचावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार से क्षति पहुंचे, ऐसा न तो अप्रार्थीगण करे न अपने नौकर, एजेन्ट, परिवार के सदस्य आदि से करावें। दौराने प्रार्थना पत्र यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त ट्यूबवेल या पाईप लाईन में किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा देवे तो अप्रार्थीगण के क्षतिपूर्ति सहित दुरूस्त कराने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री लक्ष्मीशंकर जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये गये जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 13.05.2024 जवाब बंद कर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण एवं उनके बाप–दादा रिकार्डेड खातेदार होकर पिछले 40 वर्षो से काबिज है, जमीन हड़पने का तथ्य निराधार है, इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दोनो पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों के अवलोकन एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गहलोत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर